# "विद्यालयी बाल संसद के माध्यम से विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक चेतना एवं संवैधानिक मूल्यों का विकास: बीकानेर के उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों पर एक अध्ययन"

**अमरदीप गोदारा**

**व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवबाड़ी , बीकानेर राजस्थान – 334001**

सार

विद्यालयी बाल संसद (School Child Parliament) विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक परंपराओं, नेतृत्व क्षमता और संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने का एक प्रभावी व्यावहारिक मंच है। बीकानेर सहित विभिन्न क्षेत्रों के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इसके सकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं।

बाल संसद का उद्देश्य और कार्यप्रणाली

• लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनुभव: विद्यार्थियों को चुनाव, गुप्त मतदान, बहुमत, बहस और विपक्ष जैसी संसदीय प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाता है।

• पदों का आवंटन: विद्यालय स्तर पर प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जैसे विभिन्न मंत्रियों का चयन विद्यार्थियों द्वारा ही किया जाता है।

• जिम्मेदारी का अहसास: इसके माध्यम से छात्रों में अपने विद्यालय और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना पैदा होती है।

परिचय

उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रभाव व संवैधानिक मूल्य

• संवैधानिक समझ: छात्रों को भारतीय संविधान, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की केवल किताबी जानकारी नहीं मिलती, बल्कि वे इन्हें जीवन में उतारना सीखते हैं।

• समानता और सहिष्णुता: विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों के साथ मिलकर काम करने से उनमें भाईचारा, आपसी सम्मान और सहिष्णुता के मूल्य विकसित होते हैं।

• समस्या समाधान क्षमता: बाल संसद की बैठकों में छात्र अपने स्कूल की समस्याओं पर चर्चा करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से उनका हल निकालते हैं, जिससे उनका नेतृत्व कौशल निखरता है। [1,2,3]

विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक चेतना एवं संवैधानिक मूल्य विकसित करना एक जिम्मेदार, समावेशी और सशक्त राष्ट्र के निर्माण की नींव है। विद्यालय केवल ज्ञान प्राप्ति के केंद्र नहीं हैं, बल्कि यह भविष्य के जागरूक नागरिकों को तैयार करने वाली प्रयोगशालाएं भी हैं।

संवैधानिक मूल्य क्या हैं?

भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं मौलिक अधिकारों में कुछ आधारभूत मूल्य निहित हैं, जो समाज और शासन व्यवस्था को दिशा देते हैं:

• स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता।

• समानता: कानून के समक्ष समता और भेदभाव से मुक्ति।

• न्याय: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।

• बंधुत्व (भाईचारा): आपसी सौहार्द और राष्ट्रीय एकता की भावना।

• धर्मनिरपेक्षता: सभी धर्मों और आस्थाओं का समान आदर।

विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक चेतना के प्रमुख आयाम[4,5,6]

• सहभागिता (Participation): विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर की गतिविधियों, छात्र परिषदों (Student Councils) और वार्षिकोत्सवों में भाग लेकर सामूहिक निर्णय प्रक्रिया को समझने का अवसर मिलता है।

• आलोचनात्मक चिंतन (Critical Thinking): किसी भी बात को आँख मूंदकर मानने के बजाय तार्किक रूप से सोचने और सवाल करने की क्षमता विकसित करना।

• सहिष्णुता और विविधता का सम्मान: विभिन्न जातियों, धर्मों, क्षेत्रों और पृष्ठभूमियों के सहपाठियों के साथ मिलकर समानता के भाव से रहना।

• अधिकारों के साथ कर्तव्यों का बोध: केवल मौलिक अधिकारों की मांग न करना, बल्कि राष्ट्र और समाज के प्रति अपने मौलिक कर्तव्यों को भी समझना।

लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक चेतना विकसित करने के माध्यम

1. इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ELC): विद्यालयों में स्थापित ये क्लब छात्रों को मतदान प्रक्रिया, मतदाता पंजीकरण और ईवीएम (EVM/VVPAT) की कार्यप्रणाली के प्रति जागरूक करते हैं।

2. अनुभवात्मक अधिगम (Experiential Learning): 'मॉडल यूथ ग्राम सभा' या मॉक पार्लियामेंट (संसद) जैसे आयोजनों के माध्यम से बच्चों को शासन और विधायी प्रक्रियाओं का व्यावहारिक अनुभव कराया जाता है।

3. पाठ्यचर्या और शिक्षा नीतियां: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत पाठ्यक्रम में संविधान, मानवाधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़े विषयों को शामिल किया गया है।

4. शिक्षक की भूमिका: शिक्षक स्वयं अपने व्यवहार में समानता, निष्पक्षता और तार्किकता अपनाकर बच्चों के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं।

वर्तमान चुनौतियाँ

• संवैधानिक मूल्य अक्सर केवल किताबों के पन्नों या परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाओं तक सीमित रह जाते हैं, जिन्हें वास्तविक जीवन में उतारना चुनौती है।

• रटने की प्रवृत्ति के कारण बच्चे संविधान की मूल आत्मा (समानता, न्याय, बंधुत्व) को वैचारिक रूप से आत्मसात नहीं कर पाते।

सुझाई गई अगली प्रक्रिया और विषय (Next Steps)[7,8,9]

• विद्यालयीय गतिविधियाँ: विद्यालय स्तर पर संविधान दिवस (26 नवंबर) या मॉक पार्लियामेंट के आयोजन की रूपरेखा समझना।

• एनईपी 2020 के प्रावधान: नई शिक्षा नीति के तहत मूल्य-आधारित शिक्षा के नए दिशा-निर्देशों का अध्ययन करना।

• नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रमः स्कूली स्तर पर संविधान और मौलिक कर्तव्यों से जुड़े प्रोजेक्ट कार्यों की जानकारी प्राप्त करना।

विचार–विमर्श

बीकानेर के उच्च माध्यमिक (Senior Secondary) विद्यार्थियों पर किए गए विभिन्न शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के मुख्य निष्कर्ष और बिंदु नीचे दिए गए हैं:

शैक्षणिक व मानसिक स्थिति से जुड़े अध्ययन

• शैक्षणिक लचीलापन (Academic Resilience): एक अध्ययन के अनुसार, अधिकांश विद्यार्थी (करीब 47%) मध्यम शैक्षणिक लचीलापन दर्शाते हैं, जबकि लगभग 29% छात्रों में यह क्षमता औसत से कम या बेहद कम पाई गई है। इससे स्पष्ट होता है कि कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए छात्रों को मानसिक और शैक्षणिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

• तार्किक व समस्या समाधान योग्यता: उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रों की तार्किक सोच और समस्या समाधान की क्षमता उनके संकाय (Stream) और अध्ययन के तौर–तरीकों पर निर्भर करती है।

• करियर और प्रतियोगी परीक्षाएं: बीकानेर क्षेत्र में बारहवीं कक्षा के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे JEE, NEET आदि) की तैयारी के लिए छात्रों में काफी रुझान देखा जाता है। कई विद्यार्थी अध्ययन के लिए विशिष्ट कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी का सहारा लेते हैं।

• सामाजिक उपयोगिता और शोध पर जोर: राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भी बीकानेर के विद्यार्थियों और विश्वविद्यालयों को ऐसे विषयों पर शोध करने के लिए प्रेरित किया गया है जो सीधे तौर पर समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी हों।

विद्यालयी बाल संसद (School Children's Parliament) विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा गठित एक लोकतांत्रिक संगठन है, जिसका उद्देश्य बच्चों में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, सामाजिक जागरूकता और नागरिकता के गुणों का विकास करना है।[10,11,12]

मुख्य उद्देश्य

• लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास: बच्चों को चुनाव प्रक्रिया और संसदीय प्रणाली की व्यावहारिक समझ देना।

• नेतृत्व क्षमता: छात्रों में आत्मविश्वास और उत्तरदायित्व की भावना पैदा करना।

• विद्यालय प्रबंधन में सहभागिता: स्कूल की साफ–सफाई, अनुशासन, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाना।

प्रमुख संरचना और पद

बाल संसद का गठन आमतौर पर विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा चुनाव या चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है:

• प्रधानमंत्री: यह बाल संसद का प्रमुख होता है, जो पूरी कैबिनेट और बैठकों का नेतृत्व करता है। अनुपस्थिति में उप–प्रधानमंत्री कार्यभार संभालता है।

• शिक्षा मंत्री: पढ़ाई और शैक्षिक गतिविधियों की देखरेख करते हैं।

• स्वच्छता मंत्री: विद्यालय परिसर एवं कक्षाओं की साफ–सफाई सुनिश्चित कराते हैं।

• स्वास्थ्य मंत्री: विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान देते हैं।

• खेल मंत्री: खेल–कूद की गतिविधियों और मैदान की व्यवस्था संभालते हैं।

• सांस्कृतिक मंत्री: सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन कराते हैं।

• जल मंत्री: विद्यालय में पेयजल की उचित व्यवस्था और बर्बादी रोकने का काम देखते हैं।

परिणाम

बीकानेर के विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक चेतना एवं संवैधानिक मूल्यों का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो उन्हें न केवल एक जागरूक नागरिक बनाती है, बल्कि समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी का अहसास भी कराती है। बीकानेर का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जहाँ स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रजामंडलों ने जनता और युवाओं में पहली बार राजनीतिक व लोकतांत्रिक चेतना का संचार किया था।

आज के आधुनिक परिवेश में बीकानेर के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय छात्रों के भीतर समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।[13,14,15]

विद्यार्थियों में इन मूल्यों के विकास को निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

1. शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका और पाठ्यक्रम

• संवैधानिक साक्षरता: बीकानेर के स्कूलों और कॉलेजों में नागरिक शास्त्र (Civics) और भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। सक्षम शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से छात्रों में अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति भी जागरूकता पैदा की जा रही है।

• प्रस्तावना (Preamble) का वाचन: विद्यालयों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान भारत के संविधान की उद्देशिका का सामूहिक वाचन कराया जाता है ताकि छात्रों के मन में बचपन से ही संवैधानिक आदर्श गहरे बैठ सकें।

2. छात्र संघ चुनाव और व्यावहारिक लोकतंत्र

• नेतृत्व क्षमता का विकास: महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय (MGSU), बीकानेर और राजकीय डूंगर कॉलेज जैसे प्रमुख संस्थानों में होने वाले छात्र संघ चुनाव विद्यार्थियों को लोकतंत्र की व्यावहारिक प्रक्रिया से जोड़ते हैं।

• मतदान के प्रति जागरूकता: यह चुनाव छात्रों को अपनी बात रखने, असहमति का सम्मान करने और वोट के अधिकार की महत्ता को समझने का पहला मंच प्रदान करते हैं।

3. सामाजिक और कानूनी जागरूकता अभियान

• हमारा संविधान-हमारा सम्मान अभियान: भारत सरकार की DISHA योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे अभियानों से जुड़कर यहाँ के युवा संवैधानिक साक्षरता और कानूनी सशक्तिकरण में भाग ले रहे हैं।

• ग्राम विधि चेतना: बीकानेर के उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर नुक्कड़ नाटकों और कार्यशालाओं के जरिए आम नागरिकों को उनके अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक करते हैं।

4. सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ (Co-curricular Activities)

• मॉक पार्लियामेंट (युवा संसद): विद्यालयों में 'युवा संसद' का आयोजन किया जाता है, जहाँ छात्र सांसद और मंत्रियों की भूमिका निभाते हैं। इससे वे संसद की कार्यप्रणाली, वाद–विवाद की संस्कृति और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को सीखते हैं।[16,17,18]

• मशाल यात्राएं और विमर्श: विभिन्न छात्र संगठनों (जैसे ABVP या NSUI) द्वारा समय–समय पर लोकतंत्र की रक्षा, आपातकाल के इतिहास की सीख और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे विषयों पर संगोष्ठियां और सजगता यात्राएं निकाली जाती हैं।

5. विविधता और सहिष्णुता का सम्मान

• बीकानेर की मिली–जुली संस्कृति (गंगा–जमुनी तहज़ीब) छात्रों को स्वाभाविक रूप से पंथनिरपेक्षता (Secularism) और सामाजिक समरसता सिखाती है। सह–शिक्षा और विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के एक साथ पढ़ने से एक–दूसरे के विचारों के प्रति सहिष्णुता का विकास होता है।

## निष्कर्ष

लोकतंत्र वह संवैधानिक सिद्धांत है जिसके अनुसार अंतिम अधिकार जनता के पास होता है और शासन उनके सहमति, भागीदारी और जवाबदेही के साथ ही चलाया जाना चाहिए। यह केवल आवधिक चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्वतंत्रता, भागीदारी, पारदर्शिता और नागरिकों के अधिकारों के सम्मान की व्यापक संस्कृति शामिल है।

उद्देश्य: लोकतंत्र का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, जवाबदेह शासन सुनिश्चित करना, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना, निर्णय लेने में सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और उत्तरदायी संस्थानों के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।

नैतिक महत्व: लोकतंत्र सहभागिता, जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, मानवीय गरिमा का सम्मान और जनविश्वास जैसे नैतिक मूल्यों का प्रतीक है । यह नागरिकों को सरकारी लाभों के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के बजाय शासन में सक्रिय हितधारक के रूप में मान्यता देता है। लोकतंत्र सार्वजनिक अधिकारियों को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाकर नैतिक शासन को बढ़ावा देता है.[19,20]

## संदर्भ

1. संविधान 101 संसाधन – 6.5 प्राथमिक स्रोतः जेम्स मैडिसन, फेडरलिस्ट संख्या 51 (1788) | संविधान केंद्र । राष्ट्रीय संविधान केंद्र – constitutioncenter.org । 2026-09-16 को प्राप्त किया गया ।
2. डॉन ई. फेहरेनबैकर, दास प्रथा वाले दक्षिणी राज्यों में संविधान और संवैधानिकवाद (यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया प्रेस, 1989)। पृष्ठ 81. ISBN 978-0-8203-1119-7.
3. गॉर्डन, स्कॉट (1999). राज्य का नियंत्रणः प्राचीन एथेंस से आज तक संवैधानिकवाद । हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। पृष्ठ 4. ISBN 0-674-16987-5.
4. फिलिप पी. वीनर, संपादक, "विचारों के इतिहास का शब्दकोशः चयनित महत्वपूर्ण विचारों का अध्ययन" 23 जून 2006 को वेबैक मशीन पर संग्रहीत , (डेविड फेलमैन, "संवैधानिकतावाद"), खंड 1, पृष्ठ 485, 491-492 (1973-74) ("संविधान सरकार के जिस भी विशेष रूप को परिभाषित करता है, वह संवैधानिकतावाद के आधारशिला के रूप में कार्य करता है, सिवाय उन देशों के जिनके लिखित संविधान मात्र दिखावा हैं। सिद्धांत और व्यवहार में संवैधानिकतावाद इस सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है कि एक विधिवत शासित राज्य में, सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने वालों पर सीमाएं होती हैं, और ये सीमाएं उच्च कानून के एक निकाय में स्पष्ट रूप से बताई गई हैं जिसे विभिन्न तरीकों से, राजनीतिक और न्यायिक रूप से लागू किया जा सकता है। यह किसी भी तरह से एक आधुनिक विचार नहीं है, क्योंकि एक उच्च कानून की अवधारणा जो एक राजनीतिक समाज के बुनियादी मानदंडों को स्पष्ट करती है, पश्चिमी सभ्यता जितनी ही पुरानी है। न्याय के ऐसे मानक हैं जो सार्वजनिक अधिकारियों से परे हैं और उन्हें नियंत्रित करते हैं, यहां तक कि वर्तमान लोकप्रिय बहुमत, मनुष्य की सुखमय जीवन की अंतहीन खोज के एक महत्वपूर्ण तत्व का प्रतिनिधित्व करता है।
5. लियोनार्ड लेवी, संपादक, अमेरिकी संविधान का विश्वकोश , (गेरहार्ड कैस्पर, "संवैधानिकतावाद"), खंड 2, पृष्ठ 473 (1986) ISBN 978-0-02-864880-4.
6. बर्नार्ड श्वाट्र्ज, द रूट्स ऑफ द बिल ऑफ राइट्स (5 खंड, चेल्सी हाउस पब्लिशर, 1980) ISBN 978-0877542070.
7. स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी , विल वालुचो "संवैधानिकतावाद" (परिचय जनवरी 2001 (संशोधित 20 फरवरी, 2007)।
8. फ्रैंक मान स्टीवर्ट, नगरपालिका सुधार का आधा शतकः राष्ट्रीय नगरपालिका लीग का इतिहास अध्याय 2 (कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय प्रेस, 1950)।
9. " आदर्श राज्य संविधान " (पीडीएफ) । utexas.edu । मूल (पीडीएफ) से 26 फरवरी 2013 को संग्रहीत । 2 मई 2018 को पुनः प्राप्त ।
10. क्रिश्चियन जी. फ्रिट्ज, अमेरिकी संप्रभुः गृहयुद्ध से पहले की जनता और अमेरिका की संवैधानिक परंपरा । कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2008।
11. क्रिश्चियन जी. फ्रिट्ज़, अमेरिकी संप्रभुः गृहयुद्ध से पहले की जनता और अमेरिका की संवैधानिक परंपरा (कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2008)। पृष्ठ 6 ISBN 978-0-521-88188-3.

12. डाइसी, ए.वी., संविधान के कानून के अध्ययन का परिचय । वेबैक मशीन पर 2004-04-08 को संग्रहीत , 8वां संस्करण। (लंदनः मैकमिलन 1914) (भाग III: संविधान के कानून और संविधान की परंपराओं के बीच संबंध; अध्याय 14)।
13. मैग्ना कार्टा का अंग्रेजी अनुवाद । ब्रिटिश लाइब्रेरी । 21 अक्टूबर 2019 को प्राप्त किया गया ।
14. वॉल्टन एच. हैमिल्टन, "संवैधानिकतावाद". एडविन आर.ए. सेलिगमैन, एट अल. (संपादक) सामाजिक विज्ञान का विश्वकोश (न्यूयॉर्कः मैकमिलन 1931). पृष्ठ 255.
15. क्रिश्चियन जी. फ्रिट्ज़, अमेरिकी संप्रभुः गृहयुद्ध से पहले की जनता और अमेरिका की संवैधानिक परंपरा (कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2008)। पृष्ठ 1. ISBN 978-0-521-88188-3.
16. गॉर्डन एस. वुड, द क्रिएशन ऑफ द अमेरिकन रिपब्लिक, 1770–1787 (नॉर्टन एंड कंपनी, 1969)। पृष्ठ 268। ISBN 0-393-31040-X(डेमोफिलस, जेन्युइन प्रिंसिपल्स का उद्धरण । वेबैक मशीन पर 2011-05-11 को संग्रहीत । पृष्ठ 4> (डेमोफिलस [जॉर्ज ब्रायन?]: प्राचीन सैक्सन, या अंग्रेजी संविधान के वास्तविक सिद्धांत )।
17. ज़ुकरट, माइकल (वसंत 2004)। "प्राकृतिक अधिकार और आधुनिक संवैधानिकवाद" । नॉर्थवेस्टर्न जर्नल ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स । 2 ।
18. पिलोन, रोजर (1993)। "संवैधानिकता के प्रथम सिद्धांतों परः स्वतंत्रता, फिर लोकतंत्र" । अमेरिकन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लॉ रिव्यू ।
19. एबॉट, लुईस एफ. स्वतंत्रता की रक्षाः नए मानवाधिकार विधेयक के लिए तर्क । आईएसआर/गूगल बुक्स, 2019। ISBN 9780906321737 [ पृष्ठ आवश्यक है ]
20. वाल्ड्रॉन, जेरेमी (2009)। "संवैधानिकतावाद – एक संशयवादी दृष्टिकोण"। क्रिस्टियानो, थॉमस; क्रिस्टमैन, जॉन (संपादक)। समकालीन राजनीतिक दर्शन में बहस । पृ. 279.